

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक-13/12/2017

संख्या-1/क०रा०बी०चि०प्रो० 06/16 श्र०सं०...196.../वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 3/पी०आर०सी०-3/81 एफ- 10770, दिनांक 30.12.81 के साथ पठित वित्त विभागीय पत्र सं० 3/पी०आर०सी०-13/84 (पार्ट) III-7295 (2), दिनांक 09.11.84 में निहित अनुदेशों के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 1983, दिनांक 04.7.16 द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा संवर्ग में उपलब्ध पदों के सम्परिवर्तन द्वारा क्रमशः कनीय (वेतनमान ₹ 3000-4500), वरीय (वेतनमान ₹ 4100-5000) एवं सुपरटाईम स्केल (अधिकाल प्रवर कोटि) (वेतनमान ₹ 4300-5550) के कोटि में औपबन्धिक रूप से किये गये पदों के सम्परिवर्तन के अनुरूप विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा एवं वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में निम्नांकित 29 पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष कंडिका 4 में कोटिवार अंकित तिथि से मृत/सेवानिवृत्त अथवा 31.12.95, जो पहले हो, तक आर्थिक लाभ सहित कोटिवार प्रोन्नति दी जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक	कोटिवार प्रोन्नति की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	
1	डॉ० (श्रीमती) उर्मिला मिश्रा	3	अधिकाल प्रवर कोटि में 09.02.90 से	
2	डॉ० के० एन० अग्रवाल	4	अधिकाल प्रवर कोटि में 09.02.90 से	
3	डॉ० शिवनन्दन प्रसाद	8	वरीय प्रवर कोटि में 09.02.87 से	
4	डॉ० उपेन्द्र ठाकुर	9	कनीय प्रवर कोटि में 09.02.84 से वरीय प्रवर कोटि में 09.02.87 से	
5	डॉ० उमेश कुमार साह	10	कनीय प्रवर कोटि में 09.02.84 से वरीय प्रवर कोटि में 09.02.87 से	
6	डॉ० अनीश चन्द्र मिश्र	11	कनीय प्रवर कोटि में पूर्व से 01.4.84 से प्राप्त के बदले 09.02.84 से वरीय प्रवर कोटि में 09.02.87 से	
7	डॉ० देव कुमार प्रधान	12	कनीय प्रवर कोटि में 23.3.84 से वरीय प्रवर कोटि में 23.3.87 से	
8	डॉ० देवेन्द्र नाथ ठाकुर	13	कनीय प्रवर कोटि में 23.9.84 से वरीय प्रवर कोटि में 23.9.87 से	
9	डॉ० प्रकाश चन्द्र	15	कनीय प्रवर कोटि में 21.3.84 से वरीय प्रवर कोटि में 01.4.88 से	
10	डॉ० विश्वम्भर दयाल सौभरी	16	कनीय प्रवर कोटि में 12.3.84 से वरीय प्रवर कोटि में 01.4.88 से	
11	डॉ० ज्योति शंकर प्रसाद	18	कनीय प्रवर कोटि में 12.3.84 से वरीय प्रवर कोटि में 01.4.88 से	
12	डॉ० राजकुमार प्रसाद	21	कनीय प्रवर कोटि में 20.3.84 से वरीय प्रवर कोटि में 01.4.88 से	
13	डॉ० अखिलेश सिंह	23	कनीय प्रवर कोटि में 09.02.84 से वरीय प्रवर कोटि में 09.02.90 से	
14	डॉ० अवधेश प्रसाद सिंह	24	कनीय प्रवर कोटि में 09.02.84 से वरीय प्रवर कोटि में 09.02.90 से	

15	डॉ० रामचन्द्र चौधरी	25	कनीय प्रवर कोटि में 06.6.86 से वरीय प्रवर कोटि में 09.02.90 से
16	डॉ० प्रभात शंकर	26	कनीय प्रवर कोटि में 11.7.86 से
17	डॉ० (श्रीमती) तृप्ति चौधरी	27	कनीय प्रवर कोटि में 13.7.86 से
18	डॉ० नसीम अहमद	28	कनीय प्रवर कोटि में 02.6.86 से
19	डॉ० (श्रीमती) छवि सहाय	30	कनीय प्रवर कोटि में 15.7.86 से
20	डॉ० प्रकाश सिन्हा	31	कनीय प्रवर कोटि में 09.2.87 से
21	डॉ० हेमन्ती मित्रा	32	कनीय प्रवर कोटि में 09.9.92 से
22	डॉ० अरविन्द कुमार पाण्डेय	34	कनीय प्रवर कोटि में 03.9.92 से
23	डॉ० (श्रीमती) आभा कुमारी सिंह	35	कनीय प्रवर कोटि में 10.9.92 से
24	डॉ० निर्मल कुमार तिवारी	36	कनीय प्रवर कोटि में 10.9.92 से
25	डॉ० (श्रीमती) नूतन राय	37	कनीय प्रवर कोटि में 02.9.92 से
26	डॉ० इन्द्रजीत कुमार सिन्हा	38	कनीय प्रवर कोटि में 14.9.92 से
27	डॉ० वीरेन्द्र कुमार ठाकुर	39	कनीय प्रवर कोटि में 01.9.92 से
28	डॉ० चन्द्र किशोर प्रसाद सिंह	41	कनीय प्रवर कोटि में 01.2.93 से
29	डॉ० (श्रीमती) पद्मलता सिन्हा	42	कनीय प्रवर कोटि में 02.2.94 से

2. वित्त विभागीय संकल्प सं० 6021, दिनांक 18.12.89 के अनुसार दिनांक 01.4.86 से पुनरीक्षित वेतनमान देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(कामेश्वर प्रसाद)*  
13/12/17

सरकार के उप सचिव

संख्या-1/क०रा०बी०चि० प्रो० 06/16 श्र०सं०.....196...../ पटना, दिनांक-13/12/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(कामेश्वर प्रसाद)*  
13/12/17  
सरकार के उप सचिव।